

भारतीय स्टेट बैंक
बोर्ड स्तरीय समितियां
(२६.०६.२०२३ से प्रभावी)

क्र	समिति	सदस्य	आमंत्रिती/कोरम/संयोजक
1	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)	<p>कार्यकारी निदेशक भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यकारी निदेशक इस समिति का हिस्सा नहीं होंगे।</p> <p>गैर-कार्यकारी निदेशक</p> <ol style="list-style-type: none"> श्री केतन एस विकमसी (समिति के अध्यक्ष) श्री मृगंक एम परांजपे श्री प्रफुल्ल पी छाजेड श्री राजेश कुमार दुबे भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशक 	<p>आमंत्रिती : प्रबंध निदेशक- अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, विश्व बाजार एवं प्रौद्योगिकी, प्रबंध निदेशक (कॉरपोरेट बैंकिंग एवं अनुषंगियाँ), प्रबंध निदेशक-जोखिम- अनुपालन एवं तनावग्रस्त आस्ति समाधान, प्रबंध निदेशक- खुदरा व्यवसाय एवं परिचालन, भारत सरकार के नामित निदेशक,</p> <p>सभी उप प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वित्त अधिकारी। उप मुख्य वित्त अधिकारी- बैंक की तिमाही/ वार्षिक परिणामों से संबंधित बैठकों के लिए</p> <p>कोरम : 3 सदस्य (बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों में से कम से कम दो तिहाई स्वतंत्र निदेशक होंगे)</p> <p>संयोजक : महाप्रबंधक एवं सचिव, केंद्रीय बोर्ड</p>
2	बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी)	<p>कार्यकारी निदेशक</p> <ol style="list-style-type: none"> प्रबंध निदेशक (कॉरपोरेट बैंकिंग एवं अनुषंगियाँ) प्रबंध निदेशक- जोखिम, अनुपालन एवं तनावग्रस्त आस्ति समाधान समूह (किसी भी बैठक में दोनों में से किसी एक की अनुपस्थिति में प्रबंध निदेशक- अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, विश्व बाजार एवं प्रौद्योगिकी तथा प्रबंध निदेशक- खुदरा व्यवसाय एवं परिचालन, जो कि आमंत्रिती हैं, वैकल्पिक सदस्य (सदस्यों) के रूप में कार्य करेंगे) <p>गैर-कार्यकारी निदेशक</p> <ol style="list-style-type: none"> श्री मृगंक एम परांजपे (समिति के अध्यक्ष) श्री केतन एस विकमसी श्री प्रफुल्ल पी छाजेड श्री राजेश कुमार दुबे 	<p>आमंत्रिती : प्रबंध निदेशक- अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, विश्व बाजार एवं प्रौद्योगिकी, प्रबंध निदेशक- खुदरा व्यवसाय एवं परिचालन,</p> <p>उप प्रबंध निदेशक- वाणिज्यिक लेखा समूह, उप प्रबंध निदेशक एवं मुख्य जोखिम अधिकारी, उप प्रबंध निदेशक- अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समूह, उप प्रबंध निदेशक (आर- एएसएफ), उप प्रबंध निदेशक-वित्त, उप प्रबंध निदेशक-आंतरिक लेखापरीक्षा, उप प्रबंध निदेशक एवं समूह अनुपालन अधिकारी, उप प्रबंध निदेशक- मुख्य ऋण अधिकारी, उप प्रबंध निदेशक-विश्व बाजार, उप प्रबंध निदेशक- टीबी एवं एनआई , उप प्रबंध निदेशक-तनावग्रस्त आस्ति समाधान समूह, उप प्रबंध निदेशक-मुख्य परिचालन अधिकारी, उप प्रबंध निदेशक- सूचना प्रौद्योगिकी, उप प्रबंध निदेशक (आर- पीबी एवं आरई), उप प्रबंध निदेशक एवं प्रमुख (डीबी एवं टी), उप प्रबंध निदेशक- कॉरपोरेट ग्राहक समूह और महाप्रबंधक एवं सचिव, केंद्रीय बोर्ड</p> <p>कोरम : 3 सदस्य (बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों में से कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक होंगे)</p> <p>संयोजक : मुख्य महाप्रबंधक (जोखिम प्रबंधन I)</p>

भारतीय स्टेट बैंक
बोर्ड स्तरीय समितियां
(२६.०६.२०२३ से प्रभावी)

क्र	समिति	सदस्य	आमंत्रिती/कोरम/संयोजक
3	सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति (आईटीएससी)	<p>कार्यकारी निदेशक</p> <p>1. प्रबंध निदेशक- अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, विश्व बाजार एवं प्रौद्योगिकी</p> <p>2. प्रबंध निदेशक- जोखिम, अनुपालन एवं तनावग्रस्त आस्ति समाधान समूह (किसी भी बैठक में दोनों में से किसी एक की अनुपस्थिति में प्रबंध निदेशक- कॉरपोरेट बैंकिंग एवं अनुषंगियाँ तथा प्रबंध निदेशक- खुदरा व्यवसाय एवं परिचालन, जो कि आमंत्रिती हैं, वैकल्पिक सदस्य (सदस्यों) के रूप में कार्य करेंगे)</p> <p>गैर-कार्यकारी निदेशक</p> <ol style="list-style-type: none"> श्री राजेश कुमार दुबे (समिति के अध्यक्ष) श्री केतन एस विकमसी श्री मृगंक एम परांजपे श्री प्रफुल्ल पी छाजेड 	<p>आमंत्रिती :</p> <p>प्रबंध निदेशक- कॉरपोरेट बैंकिंग एवं अनुषंगियाँ, प्रबंध निदेशक- खुदरा व्यवसाय एवं परिचालन, उप प्रबंध निदेशक- सूचना प्रौद्योगिकी, उप प्रबंध निदेशक- अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समूह, उप प्रबंध निदेशक (आर- एएसएफ), उप प्रबंध निदेशक-वित्त, उप प्रबंध निदेशक-आंतरिक लेखापरीक्षा, उप प्रबंध निदेशक एवं मुख्य ऋण अधिकारी, उप प्रबंध निदेशक- टीबी एवं एनआई, उप प्रबंध निदेशक (मानव संसाधन) एवं कॉरपोरेट विकास अधिकारी, उप प्रबंध निदेशक-मुख्य परिचालन अधिकारी, उप प्रबंध निदेशक एवं मुख्य जोखिम अधिकारी, उप प्रबंध निदेशक एवं प्रमुख (डीबी एवं टी) और महाप्रबंधक एवं सचिव, केंद्रीय बोर्ड</p> <p>कोरम : 3 (कम से कम 2 गैर-कार्यकारी निदेशक)</p> <p>संयोजक : मुख्य महाप्रबंधक (कार्यकारी सहायता प्रणाली)</p>
4	बड़ी राशि की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति (एससीबीएमएफ)	<p>कार्यकारी निदेशक</p> <p>1. प्रबंध निदेशक- जोखिम, अनुपालन एवं तनावग्रस्त आस्ति समाधान समूह</p> <p>2. प्रबंध निदेशक- खुदरा व्यवसाय एवं परिचालन (किसी भी बैठक में दोनों में से किसी एक की अनुपस्थिति में प्रबंध निदेशक- अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, विश्व बाजार एवं प्रौद्योगिकी तथा प्रबंध निदेशक- कॉरपोरेट बैंकिंग एवं अनुषंगियाँ, जो कि आमंत्रिती हैं, वैकल्पिक सदस्य (सदस्यों) के रूप में कार्य करेंगे)</p> <p>गैर-कार्यकारी सदस्य :</p> <p>बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के सदस्य :</p> <ol style="list-style-type: none"> श्री प्रफुल्ल पी छाजेड (समिति के अध्यक्ष) श्री केतन एस विकमसी श्री मृगंक एम परांजपे 	<p>आमंत्रिती :</p> <p>प्रबंध निदेशक- अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, विश्व बाजार एवं प्रौद्योगिकी, प्रबंध निदेशक- कॉरपोरेट बैंकिंग एवं अनुषंगियाँ, उप प्रबंध निदेशक एवं मुख्य जोखिम अधिकारी, उप प्रबंध निदेशक-वित्त, उप प्रबंध निदेशक एवं समूह अनुपालन अधिकारी, उप प्रबंध निदेशक-अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समूह, उप प्रबंध निदेशक-वाणिज्यिक ग्राहक समूह, उप प्रबंध निदेशक- आंतरिक लेखापरीक्षा, उप प्रबंध निदेशक एवं मुख्य ऋण अधिकारी, उप प्रबंध निदेशक- तनावग्रस्त आस्ति समाधान समूह, उप प्रबंध निदेशक (मानव संसाधन) एवं कॉरपोरेट विकास अधिकारी, उप प्रबंध निदेशक एवं मुख्य परिचालन अधिकारी, उप प्रबंध निदेशक (आर- पीबी एवं आरई), उप प्रबंध निदेशक (आर- एएसएफ), उप प्रबंध निदेशक- सूचना प्रौद्योगिकी और महाप्रबंधक एवं सचिव, केंद्रीय बोर्ड</p> <p>कोरम : 3 (कम से कम 2 गैर-कार्यकारी निदेशक - एक एससीबी से तथा एक गैर-एससीबी से)</p>

भारतीय स्टेट बैंक
बोर्ड स्तरीय समितियां
(२६.०६.२०२३ से प्रभावी)

क्र	समिति	सदस्य	आमंत्रिती/कोरम/संयोजक
		बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति से भिन्न सदस्य : 1. श्रीमती स्वाति गुप्ता 2. श्री धर्मेन्द्र सिंह शेखावत	संयोजक : मुख्य महाप्रबंधक (जोखिम प्रबंधन II)
5	हितधारक संबंध समिति (एसआरसी) सह ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी)	कार्यकारी निदेशक 1. प्रबंध निदेशक- अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, विश्व बाजार एवं प्रौद्योगिकी, 2. प्रबंध निदेशक- खुदरा व्यवसाय एवं परिचालन (किसी भी बैठक में दोनों में से किसी एक की अनुपस्थिति में प्रबंध निदेशक- कॉरपोरेट बैंकिंग एवं अनुषंगियाँ तथा प्रबंध निदेशक- जोखिम, अनुपालन एवं तनावग्रस्त आस्ति समाधान, जो कि आमंत्रिती हैं, वैकल्पिक सदस्य (सदस्यों) के रूप में कार्य करेंगे) गैर-कार्यकारी निदेशक 1. श्री राजेश कुमार दुबे (समिति के अध्यक्ष) 2. श्री केतन एस विकमसी 3. श्री प्रफुल्ल पी छाजेड 4. श्रीमती स्वाति गुप्ता 5. श्री धर्मेन्द्र सिंह शेखावत	आमंत्रिती : प्रबंध निदेशक- कॉरपोरेट बैंकिंग एवं अनुषंगियाँ, प्रबंध निदेशक- जोखिम, अनुपालन एवं तनावग्रस्त आस्ति समाधान, उप प्रबंध निदेशक-वित्त, उप प्रबंध निदेशक-मुख्य परिचालन अधिकारी, उप प्रबंध निदेशक (आर- पीबी एवं आरई), उप प्रबंध निदेशक (आर- एएसएफ), उप प्रबंध निदेशक एवं समूह अनुपालन अधिकारी, उप प्रबंध निदेशक- टीबी एवं एनआई, उप प्रबंध निदेशक (मानव संसाधन) एवं कॉरपोरेट विकास अधिकारी, उप प्रबंध निदेशक- सूचना प्रौद्योगिकी, उप प्रबंध निदेशक एवं प्रमुख (डीबी एवं टी), आंतरिक लोकपाल और महाप्रबंधक एवं सचिव, केंद्रीय बोर्ड कोरम : 3 (कम से कम 2 गैर- कार्यकारी निदेशक) संयोजक : मुख्य महाप्रबंधक (वित्तीय नियंत्रण)/मुख्य महाप्रबंधक (ग्राहक सेवा)
6	नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति	कार्यकारी निदेशक सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार, कार्यकारी निदेशक समिति का हिस्सा नहीं बनेंगे गैर-कार्यकारी निदेशक 1. श्री राजेश कुमार दुबे (समिति के अध्यक्ष) 2. श्री केतन एस विकमसी 3. श्री मृगंक एम परांजपे 4. श्रीमती स्वाति गुप्ता 5. श्री धर्मेन्द्र सिंह शेखावत	आमंत्रिती : उप प्रबंध निदेशक (मानव संसाधन) एवं कॉरपोरेट विकास अधिकारी, उप प्रबंध निदेशक-वित्त कोरम : (कम से कम 3 गैर-कार्यकारी निदेशक, जिनमें से आधे स्वतंत्र निदेशक एवं कम से कम एक सदस्य बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) से होगा) संयोजक : महाप्रबंधक एवं सचिव, केंद्रीय बोर्ड

भारतीय स्टेट बैंक
बोर्ड स्तरीय समितियां
(२६.०६.२०२३ से प्रभावी)

क्र	समिति	सदस्य	आमंत्रिती/कोरम/संयोजक
7	वसूली निगरानी की बोर्ड समिति (बीसीएमआर)	<p>कार्यकारी निदेशक</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अध्यक्ष 2. प्रबंध निदेशक- अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, विश्व बाजार एवं प्रौद्योगिकी 3. प्रबंध निदेशक- कॉरपोरेट बैंकिंग एवं अनुषंगियाँ 4. प्रबंध निदेशक- जोखिम, अनुपालन एवं तनावग्रस्त आस्ति समाधान 5. प्रबंध निदेशक- खुदरा व्यवसाय एवं परिचालन <p>गैर-कार्यकारी निदेशक</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. भारत सरकार के नामिती निदेशक 2. श्री मृगंक एम परांजपे 3. श्री प्रफुल्ल पी छाजेड 4. श्री राजेश कुमार दुबे 5. श्रीमती स्वाति गुप्ता 6. श्री धर्मेन्द्र सिंह शेखावत 	<p>आमंत्रिती :</p> <p>उप प्रबंध निदेशक-तनावग्रस्त आस्ति समाधान समूह, उप प्रबंध निदेशक-वाणिज्यिक ग्राहक समूह, उप प्रबंध निदेशक- टीबी एवं एनआई, उप प्रबंध निदेशक- कॉरपोरेट लेखा समूह, उप प्रबंध निदेशक एवं मुख्य परिचालन अधिकारी, उप प्रबंध निदेशक (आर- पीबी एवं आरई), उप प्रबंध निदेशक (आर- एएसएफ) और महाप्रबंधक एवं सचिव, केंद्रीय बोर्ड</p> <p>कोरम : 3 (कम से कम 2 गैर-कार्यकारी निदेशक)</p> <p>संयोजक : मुख्य महाप्रबंधक (तनावग्रस्त आस्ति समाधान समूह)</p>
8	कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति (सीएसआरसी)	<p>कार्यकारी निदेशक</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रबंध निदेशक- अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, विश्व बाजार एवं प्रौद्योगिकी 2. प्रबंध निदेशक- खुदरा व्यवसाय एवं परिचालन <p>वरिष्ठ प्रबंध निदेशक बैठक की अध्यक्षता करेंगे।</p> <p>(किसी भी बैठक में दोनों में से किसी एक की अनुपस्थिति में प्रबंध निदेशक-कॉरपोरेट बैंकिंग एवं अनुषंगियाँ तथा प्रबंध निदेशक-जोखिम, अनुपालन एवं तनावग्रस्त आस्ति समाधान समूह, जो कि आमंत्रिती हैं, वैकल्पिक सदस्य (सदस्यों) के रूप में कार्य करेंगे)</p> <p>गैर-कार्यकारी निदेशक</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. श्री केतन एस विकमसी 2. श्री मृगंक एम परांजपे 3. श्री प्रफुल्ल पी छाजेड 4. श्री धर्मेन्द्र सिंह शेखावत 	<p>आमंत्रिती :</p> <p>प्रबंध निदेशक-कॉरपोरेट बैंकिंग एवं अनुषंगियाँ, प्रबंध निदेशक-जोखिम, अनुपालन एवं तनावग्रस्त आस्ति समाधान समूह,</p> <p>उप प्रबंध निदेशक (मानव संसाधन) एवं कॉरपोरेट विकास अधिकारी, उप प्रबंध निदेशक-वित्त, उप प्रबंध निदेशक- टीबी एवं एनआई, उप प्रबंध निदेशक एवं मुख्य परिचालन अधिकारी, उप प्रबंध निदेशक (आर- एएसएफ) और महाप्रबंधक एवं सचिव, केंद्रीय बोर्ड</p> <p>कोरम : 3 (कम से कम 2 गैर-कार्यकारी निदेशक)</p> <p>संयोजक : उप महाप्रबंधक (सीएसआर)</p>

भारतीय स्टेट बैंक
बोर्ड स्तरीय समितियां
(२६.०६.२०२३ से प्रभावी)

क्र	समिति	सदस्य	आमंत्रिती/कोरम/संयोजक
9	इरादतन चूककर्ता/ सहयोग न करने वाले उधारकर्ताओं की पहचान की समीक्षा करने की समिति	<p>कार्यकारी निदेशक प्रबंध निदेशक- जोखिम, अनुपालन एवं तनावग्रस्त आस्ति समाधान समूह (समिति के अध्यक्ष)</p> <p>(प्रबंध निदेशक- जोखिम, अनुपालन एवं तनावग्रस्त आस्ति समाधान समूह की अनुपस्थिति में प्रबंध निदेशक- कॉरपोरेट बैंकिंग एवं अनुषंगियाँ समिति के वैकल्पिक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे)</p> <p>गैर-कार्यकारी सदस्य</p> <ol style="list-style-type: none"> श्री राजेश कुमार दुबे श्री केतन एस विकमसी श्री प्रफुल्ल पी छाजेड श्रीमती स्वाति गुप्ता 	<p>आमंत्रिती : कोई नहीं</p> <p>कोरम : 3 (कम से कम 2 गैर-कार्यकारी निदेशक)</p> <p>संयोजक : मुख्य महाप्रबंधक (तनावग्रस्त आस्ति समाधान समूह)</p>

10. केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारी समिति :

केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारी समिति की संरचना भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम 1955 के विनियम 46 के अनुसार निर्देशित होती है। संबद्ध प्रावधान नीचे दिया गया है :

केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारी समिति में अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 के खंड (च) के अंतर्गत नामित निदेशक तथा भारत में जिस स्थान पर बैठक आयोजित की जा रही हो, उस स्थान पर सामान्य रूप से निवास कर रहे अथवा उस समय वहाँ उपस्थित सभी अथवा कोई अन्य निदेशक शामिल होते हैं।

इसके साथ ही "बैंकों में कॉरपोरेट अभिशासन-बोर्ड के निदेशकों की नियुक्ति एवं समितियों की संरचना" पर दिनांक 26 अप्रैल 2021 के भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश में कहा गया है किः:

"बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष बोर्ड की ऐसे किसी भी समिति का सदस्य नहीं होंगे, जिसे ऋण प्रस्ताव संस्वीकृत करने का अधिदेश है।"

तदनुसार बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारी समिति का हिस्सा नहीं होंगे।

नोट : अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बोर्ड स्तरीय समितियों के पदेन सदस्य हैं ।

समितियों की अवधि सतत होती है और यह उसके अगले गठन तक वैध होती है।

XXXXXXXXXX